

IRCE an USYA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-भाग्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

र्स. 619] नई बिल्ली, सोनवार, बिसम्बर 5, 1988/अन्नहावन 14, 1910 No. 619] NEW DELIH, MONDAY, DECEMBER 5, 1988/AGRAHAYANA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह असग संकलन को रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

बित्त मंत्रालय

राजस्त्र विभाग

(विवेश कर प्रभाग)

नई विल्ली, 5 दिसम्बर, 1988

- मधिसू व ना

माय-कर

सा. का.नि. 1146 (म्र).---भाय पर कर की बाबन दौहरे कराधान का परिवर्तन और राजविशाय भ्रायवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की मरकार क्षया हिज मेजेस्टी की नेपाल सरकार के बीच हुम्रा उपाबद करार, करार को प्रवृत्त करने के लिए उनकी भ्रायन'-प्रानी विधियों के भ्रावीन मरेक्षित प्रक्रियाओं के मूरा होने पर और उक्त करार के धनुच्छेद 27 के भ्राधीन दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा प्रत्येक के लिए भ्राधिसूबना जारी करने पर, तारीख 1 नंधभ्यर 1988 को प्रवृत्त हो गया है।

हला, छव, केन्द्रीय सरकार, झाय-कर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की खारा 90 और कंपनी (लाभ) झतिकर अधितियम, 1964 (1964 का 7) की घारा 24क द्वारा प्रवत्त झक्तियों का प्रयोध करते हुए। निदेश वेतें है कि उक्त करार के छथी उपथंधों को भारत के संघ में प्रभावी किया जाएगा।

झाय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परि-हार और राजस्व के झपबंचन को रोकने के सिए मारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल केश्वी 5 के सरकार के वीच

करार

ग्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के ग्राप्वकान को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तया नेपाल के भी 5 के संस्कार के बीच करार।

> भारत गणराज्य की सरकार सथा नेपाल के की ठके सरकार प्राय पर करीं

के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के धपवंचन को रोकने के लिए एक करार संपन्न करने की इच्छा से नोचे लिखें धनुमार सहमन हुई है:

ग्रध्याय-I

करार का विषय-लेत

मन्त्रछेव 1

वैययितक विषय-कोल

प्रह करार उस व्यक्तिपों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसेग एक प्रथवा दोनों संविदकारी राज्यों के निवासी हैं।

খন্স্টৰ II

कराइ के अंतर्गत झाने वाला कर

- 1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, वे निम्नलिखित हैं '--
 - (क) माप्त के मामले में:
 - (i) गायकर जिसमें प्र'यकर प्रधितिम, 1961 (1961 का 43) के प्रध्यक्षीन उस परलगाया गया कोई भी अधिभार मामिल है;
 - (ii) इंपमी (लाभ) श्रतिकर मधिनियम, 1964 (1964 का 7) के श्राज्याधीन लगाया गया प्रतिकर; (जिन्हें इसके दाद भारतीय कर'' कहा गया है')
 - (ख) नेपाल के मामले में:
 - (i) सायकर प्रधिनियम, 2031 के घठ्यश्रीन लगाया गया भायकर (जिसे इसके बाद "नेपाल कर" कहा गया है)।

2. यह करार फिन्हों ससरूप अथवा पर्याप्त रूप से एक समान उन करों पर भी लागू होगा जो वोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा पैरा 1 में उखिलखित करों के झतिरिक्त, भववा उनके स्थान पर. वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने के प्रभात् लगाए जाएंने। संविदाकारी राज्यों से सक्षम प्राधिकारी भ्रपने-अपने कराखान कान्तों में किए मये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचिन करेंगे।

ग्रब्थाय-[[

परिभाषाण

मनुञ्छेर-3

सत्माग्य परिभाषाएं

1. इस करार में अब तक विषयगत पाठ में प्रख्या अपेक्षित नहीं हो :---

- [:] (क) ''एक संविवाकारी राज्य'' और ''तूमरे मंबिदाकारी राज्य'' शब्दों से विषप-गन पाठ की ध्रपेक्षा के घनुभार भारत ग्रथवा नेपाल फ्रभिप्रेस है;
- (ख) "कर" शब्द से विषयगत पार्ट की अपेक्षा के प्रनुसार, भारतीय कर प्रथवा नेपाल कर अभिपेत्र है, लेकिन इसमें यह राशि शामिन नहीं होगी, जो उन करों, जिन पर यह करार लागू होता है, के संबंध में किसी भी चुक भववा गलतो के लिए देव होगी प्रथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए भाँदण्ड की राशि होगी;
- (ग) "व्यक्ति" जब्द में कोई व्यक्तिंट, कोई कंपनी और कोई ध्रश्य समा शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवरत कराधान कानूनों के अर्धान एक कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

- (ख) "कॅपनी" सब्द से कोई भो ऐसा निर्गामित निकास अयवा कोई अस्य सत्ता अभिप्रेश है. जिसपे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रकृत करावान कानुनो के अंतर्गत किसी कंपनी अथवा निर्गामित निकास के रूप में माना जाता है;
- (७) "एक सैविाकारी राज्य का उग्रम" तया "दूसरे ग्रंतिवाकारी राज्य का उद्यम" घर्क्वों से कमणा एक मैविवाकारी राज्य के किसी निवासी हारा सैवालिन कोई उद्यम और दूसरे संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संवालिन कोई उद्यम प्रसिनेत है;
- (च) भारत के मामले में "लभग प्राधिकारी" णब्द से भागित है, विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रोय सरकार प्रयवा जसका पाधिकात प्रतिनिधि ; और नेपाल के मामले में महा-महिम की सरकार, यिस मंखालय अपका उतका कोई प्राधिका प्रतिनिधि;
- (छ) "राष्ट्रिक" णग्व से कोई व्याव्ट जिते संविवाकारो राज्य को राष्ट्रिकना प्राप्त हो तथा कोई विधिक व्यक्ति, भागोदारी और संस्था जो संविवाकारी राज्य में प्रवत्त कानूनों से इन प्रकार को म्रापनी हैसियत रखते हैं, प्राधिप्रेत है,
- (ज) "भरतरराष्ट्रीय यातायान" शब्दों का भ्रभिन्नाय एक संविकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संवालित किसो वायुपान द्वारा किसो परिवहन से है जिताए क्षमके कि जब वाययान इसरे संविध-कारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जानाहो।

2. जहां तक किमो संविदाकारी राज्य ढ़ारा इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, किसी शब्द का, जो इपर्धे परिभाषित नहीं हुन्ना हो, विषयगत पाठ की म्रस्यथा अपेक्षा नही होने पर वहां झर्य होगा, जो उम राज्य में उन करों से मंबधित कानूनों के अंतर्गन उसका ग्रार्थ है, जिन पर यह करार लागू होता है।

मनुण्छेव 4

निवासी

 इस करार के प्रयोजनीं के लिए "किसी सेविदातारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेा है, ऐसा कोई व्यक्ति, खिभ पर उस राज्य के कानूनों के प्रार्ग्तान उसके अधिव स, निवास, प्रबंध स्थान अथवा इसके मितनी-जूननी किसो अस्त सानवड के कारण कर लगाया जाना श्रोक्षित हो।

2. जहां पैरा 1 के उपयंधों के कारण कोई व्यक्टि दोनों संविवाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैमियत निम्नानुसार निष्टित होगी :---

- (क) वह उभा राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिलमें उसका कोई स्थायी गृष्ठ हो; यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई स्थामी निवास-गृष्ठ है, तो बहू उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्राधिक गतिविधियां केन्द्रिन हैं;
- (ख) यदि उसके पास किसी भी राज्य में कोई स्पायो निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संदिदाकारी राज्य का तिवापी माना जाएगा, जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो,
- (ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक भाषास दोनों राज्यों में है भथवा उनमें से किसी की राज्य में नहीं नै, तो वह उस राज्य का नियासी गासा जाएगा, जिसमें उपको भाषिक गतिविधियां केन्द्रि हैं;
- (प) दिवादास्पद मामनों में संविदाकारी भाज्यों के सक्षम प्राक्षिकारी मामले को परस्पर सहमरित से हल करेंगे।

3. अहां परामाफ 1 के उपवंधों के कारणों से, किसी व्यक्ति से सिम को भ्यथित दोनों संविधाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाका राज्य का भिवासो मान। जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावो प्रबंध-ज्यवरूपा का स्थान विविचत है।

न्द्रनुच्छेद 5

स्यायी संस्थापन

 इल करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" मर्थ्यों से मारोतार का बह निवित्रित स्थान भ्रमिश्रेत है, जहां से उग्रम का कारोतार पूर्णतः ग्रथन अंगत च ताया जाता है।

- 2. "रथायी संस्थापन" मब्बों में विश्रोपतः निम्नति खिन शामिल होंगे :---
- (क) प्रमग्ध का कोई स्थान ;
- (आ) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (थ) कोई कारखाना;
- (इ.) कोई कर्मजाला;
- (ज) कोई खात, कोई तेन अथवा गैस कूर, कोई खबात अभवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई झन्द स्थान;
- (छ) कोई भवन-स्थल घ्रार्या निर्माम घ्रथवा एसेम्बनी परियोजन लेकिन छेवल ऐसे जहां इस प्राहार के स्थन, परियोजनाएं ग्राववा कार्यकलाप वारह महांनों की फिती घ्रवधि के दौरान 183 दिन से प्रतिह की किंनी घरधि ध्रववा घरवियों के सिए बलते हों;
- (ज) किसी उदाम हारा कर्मवारिगं भगवा घ्रम्य कार्मिकों की गार्कंत सेवाएं प्रधान करना जहां देश के मीतर ऐसे कार्यकलाप बारष्ट्र महीनों को किसी भगकों के दौरान 183 दिन से भविक की किसी भवति भगवा भवधियों के लिए चलने हों;

 इस प्रतुक्ठेद में पूर्ववर्ती उपनर्थों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन' के प्रत्नर्थत निम्नलिखित को गामिल नही माना आएगा;

- (क) उद्यम के माल भयवा जाणिजियक वस्तुओं के माल भंडारण ध्रववा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविक्षाओं का उपयोग;
- (ख) फेक्स भण्डारण मधवा प्रवर्धन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माझ भ्रायजा वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टाक का रख-रखाव;
- (ग) किसी क्रन्थ उद्यम ढारा केवल संसाधित किये जाने के उद्देष्प से उद्यम के माल प्रयंग वाणिण्यिक वस्तुओं के स्टाक का रख-रखाय;
- (घ) उद्यम के लिए केवन माल प्रयवा धाणिण्यिक वस्तुओं को खरीदने भ्रयवा सूचना एकझ करने के उद्देश्य से कारबार के किसी निश्चित स्वान का रख-रखाध;
- (ब.) उद्यम के लिए प्रारम्भिक प्रयवा सहायक किस्म के किसी प्रस्य कार्यक्रनाप साझ के प्रयोजनार्थ कारवार के किसी निर्धारित स्थान का रख-रखाव।

4. गिरामाफ 1 नया 2 के उनजन्तों के होते हुए भी जहां कोई ब्यक्षिन, जो स्वतंत्र सिंधत के जिसी एजेंट, जिम पर पैरामाफ 5 लागू होता हो से सिल्त हो, एक संविधाकारी रज्य में किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा उसके पास उद्यम की ओर से संविधाएं सम्परन करने का प्राधिकार हो तथा जरते पास उद्यम की ओर से संविधाएं सम्परन करने का प्राधिकार हो तथा जह उसका नियमित रूप से प्रयोग करना है, वहां उन उद्यम का जरून राज्य में उन जार्थकलापों के संबंध में एक स्थायो संस्थापन होता माना जाएगा जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए करना है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रताप उक्त उद्यम के लिए माल मयवा कानिजियक बर्ज़ा की जारोदा तम ही सोधिन नहीं हों। 5. एक संविधाकारी राज्य के किसी उराम का दूसरे संविधाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना आएणा कि बहु उस दूसरे राज्य में किसी धनल, सामान्य कथीवान एजेंट ध्रथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी प्रन्य एजेंट के माध्यम कारोबार करता है, वणर्ते ऐसे व्यक्ति अन्ता कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि जब ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः ध्रथवा लननग पूर्णतः उस उद्यम की कोर से किये गये हों तो उसे इस पैरांग्राफ के अभिनाथ के प्रन्तांत एक स्वतंत्र हैसियल बाला एजेंट नही समझा जाएगा।

6. इस सग्य से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को निवंखित करती है भवता उसके दरा निवझित होती है जो तूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्रगय। जो उस दूसरे राज्य में (च हे स्वायी संस्थापन के माध्यम से म्रथय। मन्थया) कारवार चलाती है, इन बोवो कम्पनियों में से कॉई भी कम्पनी स्वतः दूसरों कम्पनी के संदिभी कम्पनी स्वतः दूसरों कम्पनी के संदिभी है. इन बोवो कम्पनियों में से कॉई भी कम्पनी स्वतः दूसरों कम्पनी को सिंग्र के स्वायी संस्थापन के माध्यम के म्राव्य के संवतः दूसरों कम्पनी से करती है.

भाष्याय - 3

भाग का कराधान

भानुण्छेद - 6

मचत सम्पत्ति से माय

 एक संविदाकारी राज्य के फिसी निवासी ढारा दूसरे संविदाधारी राज्य में स्थित अवल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अयवा वानिकी से प्राप्त प्राय भी प्रामिल है) से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर करोगा।

2. "म्रचल सम्तति" पद का भर्य वही होता, जो उस मंबिदाकारी राज्य के कानून के प्रत्यति उसका भ्रयं है जिसमें नंबधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होगे--- म्रचल सम्पत्ति के उपसालन के रूप में सम्पत्ति, कुथि और बानिजी में प्रयुक्त पशुधन और उपसालन के रूप में सम्पत्ति, कुथि और बानिजी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे म्रविकार जिन पर भूसम्पत्ति सबंधीं सामान्य कानून के उपसंघ लागू होते हों भ्रचल सम्पत्ति को भोगने के म्रविकार और खानज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राइनिक मंधाधनों के संचालन के लिए म्यवा संघायन के स्वाय प्राइनिक मंधाधनों के संचालन के लिए म्यवा संघायन के स्वाय प्राय प्रात्कल के रूप में परिवर्तनीय अपवा लियत भयायागीयों के म्रधिकार । जनपान नौकाएं तथा वायुयान भ्रचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपजन्ध घवल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने घथवा किसी झम्प प्रधार के उपयोग से होने वाली भाष पर मी लागू होंगे।

4. पैरामाफ 1 तथा 3 के उपतंत्र किमी उग्रम की भवल सम्पत्ति से भजित ग्राम पर और स्वतन्त्र म्यक्तिगत तेवाओं के निष्पादन के लिए प्रमुक्त भवल सम्पत्ति से भ्रजित ग्राय पर भी लागू होगे।

मनुष्छेद ७

कारजार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उसम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उसम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थापी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उसम के लागों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा किन्तु यह कर खेवल उतने अंग पर लगेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के कारण दुआ हो।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के ध्रधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य मे स्थित किसी स्यायी संस्थारन के माध्यम से उसमें कारोवार करता हो, वहां प्रस्येक संविदाकारी राज्य में, उस स्थायी संस्थापन को बहु क्षाम प्राप्त हुआ समझा जाएग

3

विसके प्राप्त होने की उस स्थिति में प्रपेका रहती कव वह उन्हीं अयवा वैसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कायों में सगा हुआ कोई भिल्ल और ग्रसना उद्यम होता और उस उग्रम के साथ पूर्णतः स्वसंत्र रूप से कारीवार करता, जिसका वह स्थायी संस्थापन है।

3. (क) किसी स्थायों संस्थापन के सामों का मिर्धारण करने में उदाम के ऐसे खर्चों की कटौती की मनुमति होपी जो उस स्थायों संस्थापन के प्रयोजन के लिए किए गए हों जिनमें केवल कार्यकारी तथा मामान्य प्रयासनिक खर्चे शामिल हों चाहे वे खर्चे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है प्रथवा घ्रन्यद्र किए गए हों जो कि उस पंतिराकारी राज्य के कानूनों के उपबंधों के प्रधीन घ्रनुमक्ष्य है जहां कि स्थायी संस्थापन स्थित है।

(बा) तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय प्रयवा उसके किसी भग्य कार्यालय को पेटेल्टों प्रयवा ग्रम्य भविकारों के प्रयोग के प्रतिफल में रायस्टियों, फीस अथवा इससे मिसती-जुसती अन्य भ्रायगिमों भ्रयवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए भयवा प्रबंध व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में अयवा धींकंग उद्यम के मामले में छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दी गई धन राक्ति पर व्याज के रूप में प्रवस रकमों के सम्बन्ध में (जो वास्तविक खावों की प्रतिपूर्ति से भिन्न हों) ऐसी कटौती किए जाने की मनुमति महीं होगी। इसी प्रकार किसी स्पायी संस्थापन के सामों के निर्धारण में उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अभवा उसके किसी भ्रम्य कार्यालय के पेटेन्टों भ्रथका ग्रम्य अधिकारों के उपयीग के प्रतिफल में रायरिख्यों, फीस भववा इससे मिलती-जुलत। धन्त प्रदायगियों प्रथना की गई निमिष्ट सेवाओ के लिए ध्रयना प्रबंध व्यवस्था के लिए कमीजन के रूप में प्रयत्ना बैंकिंग उग्रम के मामले को छोडकर, उद्यम के प्रमान कार्यालय झयवा उसके किसी झन्य कार्यालय कों उधार दो गई बनरालि पर ब्याज के रूप में प्रभारित रकम (जो बास्तविक सार्वों की प्रतिपूर्ति से मिल्न हो) को हिसाब में नहीं सिया আ হিমা ৷

4. जहां तक किसी पंत्रिवाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति संविभाजन के ग्राघार पर भिसी स्थायी संस्थापत के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रया हो, बहां पैरावाफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसो प्रवादिग नविमाजन पढति से, कर लगाए जाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी, तथापि, उक्त संविभाजन पढति ऐसी होगी, कि उसका परिणाम इस ग्रनुच्छेद में विहित सिद्धाम्सों के प्रतिशि का प्रतासों के प्रतिश्वित करने की प्रया त्रिक्त करने का प्रया के कार्य संविदाकारी राज्य को ऐसो प्रवादिग नहीं करेगी, तथापि, उक्त संविभाजन पढति होसी होगी, कि उसका परिणाम इस ग्रनुच्छेद में विहित सिद्धाम्सों के प्रतिशास होना।

5. कोई साथ केवल इस कारण कोई स्थायों संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन हारा उद्यम के लिए माल या बाजिण्यिक बस्तुएं खरीधी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों को प्रयोजनाय स्थायी संस्थापन को कारज हुए समझे जाने को से लाओं को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीक्ष कोई उचित तथा पर्यान्त कारथ नहीं हो।

7. जहां लाभों में भाय को ऐसी मर्वे सामिल हों जिन पर इस करार के भ्रम्य भनुष्ठेवों में भाजग से विवार किया गया है, उस स्थिति में उन भनुष्ठदेवों के उपबंधों पर इस भनुष्ठदेव के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं पढेगा।

মণুল্টৰ ৪

नामु परिवहन

 किसी संविवाकारी राज्य के उग्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में किमान परिवालन से प्राप्त साथों पर कैक्स उस राज्य में ही सनाया जगएगा। 2. पैराग्नागः 1 के उपवंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोवार भववा किसी बंतराष्ट्रीय प्रचालन भाषिकरण में भाग लेने से प्राप्त साथीं पर भी सागू होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के प्रमोजनों के लिए, अंतराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से संबंधिन निधियों पर ब्याज को ऐसे विमान परिचालन से प्राप्त आय/लाभ माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में धारा 11 के उपबन्ध सागू नहीं होंगे।

4. "बायुयान परिवालन" पद का अर्थ यह होगा--वायुयान के मालिकों या पट्टेयारों भववा भवलेगाओं 'बार्टर्स' ढारा यालियों, ढाक, पगुधन या माल का वायुयान से परिकहन का घ्यापार, जिसमें ग्रस्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिकी, वायुयान का भनु-संगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रस्थक्षतः संबंधित कोई भी ग्रन्य कार्य-कलाप बामिल है।

मनुच्छेव 9

संग्रेंब उग्रम

जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उग्रम दूसरे संविदाकारी राज्य के जवम के प्रबंध, नियंत्रण भववा पूंजी में प्रस्वक्षतः भयवा मप्रस्यक्षतः भाग लेता है, मयवा
- (ख) वे हीं व्यक्ति एक संविवाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंक्षण प्रयक्षा पूंजों में प्रत्यक्षतः अववा प्रप्रत्यक्षनः भाग लेते हैं, और दोनों ही अवस्माओं में, दोनों उग्रमों के बीवं उनके बाणिज्यिक अववा बित्तीय संबंधों में ऐसी धर्ते रखी प्रणया लगायी जाती हो, जो उन गतौं से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हों तो ऐसा कोई भी साथ, जो उन गतौं के नहीं होने की देशा में उन उधनों में से एक उद्यम को प्राप्त हुया होता, परस्तु उन गतों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ होता, परस्तु उन गतों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ होता, वरा और उस पर तद्नुसार कर सगाया जा सकेगा।

मनुच्छेर 10

सामगि

 जो कम्पनी एक संविवाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविवाकारी राज्य के निवासी को घवा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराघेय होंगे ।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांस उस संविधाकारी राग्य में मी, जिसकी लाभांस प्रदा करने वाली कम्ननी निवासी है और उस राज्य के कानून के अनुसार कराधेय होंगे, किन्दु यदि पाने वाला लाभांकों का हितभांनी स्वामी हो तो इस प्रकार संगाया जाने वाला कर --

- (क) लामांशों की सकल रकम के 10 प्रतिगत से भ्रधिक नहों होगा यदि हिंदआगी स्वामी कोई कम्पनी है जिसके पास लाभांश देने वालो कम्पनी के सेयरों के कम-से-कम दम प्रतिवाउ सेयर हों;
- (बा) ग्रन्थ सभी मामलों में लाभाशों की सकल रकम के 15 प्रतिशय से अधिक नहीं होगा।

यह पैराशाफ उन सामों के संबंध में कम्प्रनी के करावान पर कोई प्रभाव नहीं कालेगा, जिनमें से लाभांगों का भुगतान किया आता है।

 इस मनुच्छेव में यथा प्रयुक्त "साफालों" पर का झणिप्राय शेवरी झयवा ऐसे मन्य अधिकारों से प्राप्त ग्राय से है जो ऋण-दाने नहीं हों,

साभों में भागीबार हों, तथा अन्य निगमित मधिकारों से प्राप्त माथ से है जिस पर उसी प्रकार कर लगाया जाता है, जिस प्रकार कि उस राज्य के कराम्रान कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त भाद पर लगाया जाल। है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

and the second second

4. पैरापाफ 1 भीर 2 के उत्थंध उस स्थिति में लागू नई (होने, यदि लाभांशों का हितमागी स्वामी, जो एक संविधाकारों राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश ग्रथा करने वासी कम्पनी निवासी है, बहां स्थित एक स्थार्थी संस्थाान के माध्यम ते कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्यतंत्र नैययि क सेवाएं सम्पन्न करना है और जिस धारणाधिकार के बारे में साभाशों की घदायनी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थाई संस्थावन अथना निस्थितन स्थान से प्रभावीरून से संबंधित है । ऐसे मामलों में, यया-स्थिति, मनुच्छेद 7 या मनुच्छेद 13 के उत्त्वन्ध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविधाकारी राज्य की तिवासी है, दूसरें संविदाकारी राज्य से लाभ गयवा माथ प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा मवा किए नए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर गहीं लगा सकेगा, केवल उस सीमा को छोड़कर जहां तक कि ऐसे साभांग उस दूसरे राज्य के निवासी को बना किंए जाते हैं मथवा जहां तक कि यह धारणाधिकार जिसके संबंध में लॉभाणों की प्रदायगी की जाती है, वह उम दूसरे राज्य में स्थित किमी स्थायी संस्थावन मथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्पनी के अवि-तरित लाभों पर प्रवितरित लाभ संबंधी कर लगायां जाएगा, चाहे ग्रदा किए गए लामोंश भधवा अवितरित साम पूर्ण रूप से प्रयता क्रांशिक रूप से इस प्रकार के दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले माभ भाषवा भाष के रूप में ही हों।

मनुच्छेव 11

क्या ज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वासे तथा दूसरे राज्य के निवासी को मदा किए जाने वाले क्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविधाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के ब्रनुमार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किंतु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रमारित कर की राशि क्याज की संकल रकम के 15 प्रतिमत से मधिक नहीं होगी ।

तथापि, गर्त यह है कि जहां व्याज वास्तविक वैकिंग व्यापार चलाने बासे उस बैंक को दिया जाता है, जो दूसरे संविधाकारी राज्य का निवासी है और जो व्याज का हितमागी स्वामी है, वहां जिस संविकारी राज्य में व्याज उद्भूत होता है उस राज्य में प्रभारित कर ज्याज की सकल राधि के 10 प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगा।

3. पैरामाफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविवाकरी राज्य में 'उब्भूत होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छट प्राप्त होगी वगतें यह निम्मलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हितमागी रूप से रखा षया हो ;

- (i) दूसरे संविवाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक जन-प्रभाग अमवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, भ्रभवा
- (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैंट्रल बैंक।

4. इस मनुच्छेव में यथा प्रयुक्त "न्याज" शब्द से मभिन्नेत है प्रस्थेक प्रकार के ऋष्म संबंधी दानों से प्राप्त ग्राय, चाहे वे बंधक ढ़ारा प्रतिनूत हों मयवा नहीं और बाहे म्हणदाता के लाभों में भागीवारी का मधिकार प्राप्त हो मधवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिमूर्तियों से प्राप्त

भाग बंधवलों प्रथवा व्यागलतों से प्राप्त गाग, जिसमे ऐसी प्रतिधृतियों, बंधनन्त्री प्रथवा ऋणपत्नीं से संबंधित लाभांश कीर पुरस्कार नामिल हैं। विलभ्य से की गई यदायगी के शिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस धनुष्छेद के प्रयोजनार्ध ब्याज नहीं माना आएगा ।

5. पैर पार्फ 1 और 2 के उत्त्वंध उस स्थिति में नागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का जिलगागी स्वामी, जो एक सविताकारी राज्य मा निवामी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में जिसमें ख्यात्र उद्मृत हुया हो, वहां स्थित किमी स्थावा संस्थापन के माध्यन से कारीबार चलाता है मयवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतन्न बैधविक सेवाएं समामन करता है, और जिस ऋग-इश्वे के बारे में व्याज भवा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थाग्री सत्यारत भयवा निक्षित ल्यान में प्रभावी रूप से संगंभित है। ऐसे भामले में घनुण्छेद 7 या मनुष्छेद 13 के जपबंध, जैसा भी मामला हो, खानू होंने ।

 क्याज किसी संविदाकार्र: राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब ग्याज ग्राम धरने वाले स्वयं वह लंबियाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई आगनीय प्राधिकरण अवना निगसी हो। किन्दु जहां ध्यात्र भदा करने वारे गरनित का, चाहे वष्ट्र संविदाक, री राज्य का निवामी हो मथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थापी संस्थापन अथवा निविचन स्थान है जिएके मंबंध में बह ऋण लिया गया या, जिस पर व्याज की अवायगी की जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्यायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन किया जाता है सो इस प्रकार का ग्याज उन संविदाकारी राज्य में उद्भुत हुआ माना जाएगा जिसमें बहु स्पामी संस्वादन अयना निरिवत स्वान स्वित है ।

7. जहां ब्याज मवाकर्ता सया उनके हितभागी स्वामी के बीच प्रथवा उन दोनां और जिसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण भाग की गई व्याज की रकन, उन ऋष्ण-दावे को ध्यान मे रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम ग्रदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा-कर्ता और हितनागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस मनुष्छेद के उपबंध केवल अस्तिम वर्णित रागि पर लानू होंगे। ऐसे भामलों में अवायगी के प्रतिरिक्त भाग पर, इस करार के प्रन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करने हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के मनुसार कर लगाया जाएगा।

मनञ्छेव 12

रायल्टियां

1. एक मंगिवाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली भौर दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को ग्रदा की गई रायल्टिययों पर उस दूतरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. समापि, ऐसी रायस्टियों पर उस संविधाकारी राज्य मे भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं मौर उसी राज्य के कानून के अनुसार, कर सगाया जा तकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायस्टी का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिभत से प्रश्निक महीं होगा ।

 इस अनुक्छेव में यथाप्रयुक्स "रायल्टियां" सब्द से साहित्यिक. कलात्मक ग्रयवा यैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फिल्में, ग्रथवा रेडियो धूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में भववा टेपें गामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, मथवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में डिजाइन मथवा माइल, प्लान, गुप्त फामूला मथवा प्रक्रिया के प्रयोग, अभवा मौद्योगिक, वाणिज्यिक मथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए मधना प्रयोगाधिकार के प्रयोग के लिए, प्रणवा झौर्योगिक, वाणिज्यिक भ्रयवा वैझावित मनुमद से संबंधित जानकारी केलिए प्राप्त किसी प्रकार की भवायगी मभिप्रेत है

मन्च्छेव 14

पराधिन यैयपितक सेवाएं

 अमुच्छेद 15,16,17,18,19, और 20 के उपबन्धों के अधीम रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी ' निनामी ढाग किमी नियोजन के संप्रंध में प्राप्त थेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के पूलरे पारिश्रमिक पर केवस उसी गज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि नियोजन किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन इस प्रकाम किया जाता है तो ग्ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होना है, उस दूसरे राज्य में कर सगाया जा सकेगा।

2. पैरायाफ 1 के उपबन्धों के होने हुए भी एक संथियाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविधाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध ने प्राप्स पारिश्वसिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्षी संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" श्रम्थवा "श्राय के दर्ष" मे जैगा भी सामला हो, कुल मिलकार 183 दिन से प्रमधिक की अथवा ग्रबधियों के सिए उज दूसरे राज्य में सौजूद रहा हो ; सथा
- (ख) पारिश्वसिक, ऐसे नियोज% द्वारा या उसकी क्रोर से झवा किया जाता है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो ; क्रौर
- (ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे रथायी गंस्थापन या निश्चिस स्थान द्वारा बहन नहीं किया जाता हो जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस ग्रनुभ्छेव के पूर्ववर्ती उपकर्म्धों के होते हुए भी, एक संविधा-कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारः प्रन्तरराष्ट्रीय यातायात्र मे परि-भालित किसी हवाई जहाज पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रयिक पर कर उसी राज्य में लगाया जा स्क्रेगा।

मनुच्छेद 15

निबेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, गान्त की गयी निदेशक की फीस नथा इसी प्रकार की झन्य झदा-गियो पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सपेगा।

ग्रनुज्छेर—16

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ियों द्वारा मजित माय

मनुज्छेव 13 और 14 को उपवधों के होते हुए भी, एक संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे थियेटर, धलचिझ, रेडियो समबा दूरदर्शन कलाकार या संगीतकार अथवा खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के प्रपने धैंयभिसक कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया आएगा।

2. जब किसी मनौरेंअनकर्ता झणवा खिलाड़ी द्वारा किए गए मपने बैयबितक कार्यकलायों के संबंध में झपनी इस प्रकार की हैमियत से प्राप्त झाय गनौरेंजनकर्ता झणवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, प्रसितु किसी अन्य ध्यक्ति को प्राप्त हो तो मनुष्छेद 7,13 और 14 के उपबर्खों के होते हुए भी, उस झाम पर कर उस संश्वियाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिस राज्य में मनोरंडनकर्ता भ्रथला खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यक्रमाय किए आते हैं।

4. पैराग्राफ 1 गौर 2 के उपबंध उस स्थिति में मागू नहीं होंगे यवि रायल्टियों का हितनागी स्थानी, जो एक संविदाकारी राज्य का नियासी है गौर दूसरे संविवाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, बहां स्थित किसी रथायी संरयापन के माध्यम ने या बहां स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्थतल वैयदितक संघाएं करता है, धौर जिस प्रधिकार या संपत्ति के लंबंध में रायल्टियां घवा की जाती हैं, बह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित रथात के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मायले में प्रनुच्छेद 7 या 13 के उद्धर्वक्ष जैसी भी स्थिति हो लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायस्टी तब उद्भून मानी जाएनी, जब रायस्टी घरा करने व ला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राज-नैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या कोई निवासी हो । सवापि, जहां गायस्टी ग्रवा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी है या नही, संविदाकारी राज्य में एक स्वायी संस्थापन ग्रववा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके रावंध में रायल्टी प्रदा करने की देनदारी उद्भूत हुई ऐसी रायल्टी ऐसी स्थायी संस्थापल द्वारा प्रथवा निश्चिस स्थान ढारा वहन की जाती हो, सो ऐसी रायस्टी उस राज्य में उद्-भूत हुई मानी जाएनी जिसमें स्थापी संस्थापन था निश्चिन स्थान स्थित है ।

6. प्रहां अदाकर्ता छोर हितभागी स्वामा के बीच भाषता उन दोनों के समा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार प्राप्तबंध होने के कारण, रायस्टी की राशि उपयोग, उधिकार प्रोर सूचना को ध्याज में रखते हुए, जिसके लिए इसे अदा किया जाता है, उस राशि ने बढ़ जाती है जो इम प्रकार का सबंध न होने की स्थिति में प्रवार्क्ता श्रीर हितभागी स्वामी द्वारा तथा की गई होती, नो वहां इस प्रतुच्छेव के उपबन्ध केमल अतितम वणित नाझि पर ही सागू होगे। ऐसे मामले मे, अधिक भवा की गई रक्तम पर करार के अत्य उपकर्भों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया प्राएग। ।

मनुल्छेद 13

रवतंत्र वैथनितक सेघाएँ

 एक संविधाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा घ्यावसायिक सेवाधों भ्रायवा उसी स्वरूप के घ्रान्य स्वतंत्र कार्यकलागों द्वारा प्राप्त भ्राय पर निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी घाय पर दूसरे सविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेंगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा :

- (क) यदि उसे स्रथमे कार्यकलाशें के निपायन के प्रयोजनार्थ दूसरे सनिदाकारी राज्य में एक निश्चित रागन नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संविवाकारी राज्य में केवल उननी स्राय पर कर लगाया जा तनेगा जिसनी उस निधिचत स्याम के कारण उद्भूत हुई मानी जा उकती है; प्रथवा
- (ख) यदि इसकी दूसरे संविधाकारी राज्य में टहरने की प्रवधि या प्रथथियां किसी संगत "पूर्ववर्ती क्ष्में" अथवा "ग्राय के वर्ष" में, जैसी भी रिथति हो, कुल 183 दिन प्रायवा उससे प्रधिक हो, उस मामले में, तो प्राय के केवल उनने भाग पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पा-दित उनके कार्यकलामों से उसे प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावनायिक सेजाएं" पद में स्यतंत्र वंज्ञानिकों, माहित्यक, कला-रप्तक, गैंजिक घ्रथवा ग्रध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्प-यिफित्सकों, बकीलों, ईजीनियरो, त्रास्तुयिबों, दस्त चिकित्सकों तथा लेखा-कारों के स्यतंत्र कार्यकलाप ग्रामिल हैं। 3. पैराप्राफ 1 ले उपबश्धों को होते हुए भी, जिसी मनोरअगकवी भयवा खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविधकारी राज्य का निभासी हैं, दूसरे संवदाकारी राज्य में इस प्रकार के किए गए उसके बैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त मांय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोस्लिखिन संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्य केलापों को प्रथमोस्लिखिन संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें उसके राजमीसिक उप-प्रभागों में से कोई उप-प्रभाग, प्रभवा स्थामीय प्राधिकरण भी णामिल हैं, पूर्णत : भयवा अंगत: सहायता दो जाती है।

4. पैराग्राफ 2 और ग्रमुचछेद 7,13 और 14 के उपयधो के होते हुए भी, जहा मनोरंजनकर्ता प्रयथा खिलाड़ी द्वारा प्रपनी इन प्रकार की हैसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त ग्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता प्रण्या खिलाड़ी को प्राप्त न होकर किमी यान्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ऐसे मामले मे उस भाज पर उस स्थिति मे क्षेत्रल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा यदि उस मन्य व्यक्ति को तूसरे संविदाकारी राज्य को ही कर लगाया जा सकेगा यदि उस प्राप्त करे राजनीति उप प्रभागों में से कौई उप-प्रभाग मा स्थानीय प्राधिकरण गामिल है, पूर्णत: ग्रम्था अंग्रह: सहायता दी जाती है।

श्रमुण्छेद 17

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन

 (क) किसी संविवाकारी राज्य, ग्रम्पवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग झणवा स्थामीय प्रतिधकरण द्वारा व्यप्टि को उस राज्य झणवा उप-प्रभाग था प्राधिकरण को लिए की गयी लेवाओं के संबंध में पेशम से भिन्न भवा किए गए पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही सगेगा ।

(स्त्र) नथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी स्थिति मे ही कर लग शकेगा, क्षति सेनाएं दूसरे राज्य मे की जाती है और व्यप्टि उस राज्य का निवाही है, जो :--

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अथया

 (ii) सेवाएं अर्थित करने सात्र के प्रयोजनार्थं उस राज्य का निव सी नहीं बना

2. (क) किसी सविदाकारी राज्य ब्रयवा उसके किसी राभनीतिक उप-प्रभाग ग्रथवा व्यानीय प्रधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में उस संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक उप-प्रभाग ब्रथवा प्रश्विकरण ढारा मुजिल निधियों मैं से किसी व्यक्टि को ब्रादा की गयी दिसी नी पेंजन पर कोक्स उस राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तयापि, ऐसी पेंशन पर उस स्पिति में केवस दूसरे संविदाकारी शाज्य मे ही कर सगेगा यदि व्यक्ति उस राज्य का झाक्षासी हो और राष्टिक हो।

3. प्रतम्ब्रेय 14,15 और 16 के उप*नंश,* किसी म विदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उप-प्रभाग श्रमवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कारोबार के बारे मे की गयी सेक्षाओं के संबंध मे पारि-श्रमिक और पेंशन पर लागू होगे।

म्रनुष्छेद 18

गैर सरकारी पेंझन और वार्थिकिया

 एक संविदाकारी राज्य के किसी नियासी द्वारा दूसरे संविदा-कारी राज्य के स्रोतो से प्राप्त प्रनुष्ठ्येत 17 में उल्सिखित पेंगन से भिन्न किसी पेंगल ग्रथवा किसी वाधिकी प्रर कर केवल प्रथमोल्सिखित संविदालारी राज्य मे ही लगाया जाए। 2. "पेंजन" शब्द का धर्य उस मियस कालिक मुगतान से हैं, जो दिगत से की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप से प्रथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप से प्राप्त किया गया हो।

3. "वार्षिकी" एवव का ग्रथं उस उल्लिखित राशि से हैं जो घन भयवा घन के मूल्य मे पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफान के लिए ग्रदायगियां करने के लिए दायित्व के भग्नीन जीवन पर्यन्त ग्रथवा विजिधिष्ट ग्रथवा निश्चेय समायावधि के दौरान उल्लिखित समय पर मार्वधिक रूप से देय हो।

अनुष्छेद 19

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त भादायगियां

 किसी विद्यार्थी भयवा व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले तविदाकारी राज्य में से किसी एक का निवासी है ग्राथवा या तथा वह उस दूसरे राज्य में केवल अपनी शिक्षा ग्रायवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्य उपस्थिति है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे निम्लखिखित पर कर से छुट प्राप्त होगी:

- (क) उस दूसरे संविदाकारो राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरग पोवण, शिक्षा प्रयत्रा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उससे की गई प्रयाय गिया : राणा
- (बा) उस दूसरे सलिदाकारी राज्य में किसी "विंगल ब्रेबें" अर्थवा "भाय वर्षे" जैसी भी रिपति हो, मे रोजगार से प्राप्त पारिश्वमिक पर जो 18,000 र. (भारतीय मुद्रा) ध्रयवा नेपाली मुद्रा मे उसके समयुत्थ से प्रधिक न हो, बागर्ते कि एंसा नियोजन उसके मध्ययन से सीधे रॉबंधित हो प्रयंगा उसके भरण पोषण के प्रयोजनार्थ शुरू किया गया हो।

2. इम अनुच्छवे का लाभ कोवल ऐपी भारधि के लिए मिलेगा जो प्रारंभ की गई शिक्षा ग्रभवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित ध्रणवा भाधारणतया भर्व क्षित हो, परन्तु भिन्दी भी हालस में किसी व्याटि को उसके उम दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथम बार उसके पहुंचने की तारीख में लगातार तीन वर्ष में अधिक छवधि केलिए जनुष्ठछेद का लाभ प्राप्त मही होगा।

মন্স্টৰ 20

प्राध्यापकों, मञ्चापकों तथा गोठ छात्रों इतरा प्राप्त धादापरिथा

1. किसी प्राप्त्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे मंदिदावारी राज्य में किसी विषयविधालय, कालेज, स्कूल मे अध्या दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था में सध्यापन भ्रणवा कोछ कार्य के लिए अधवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पटचने से तुरस पहले संविदा-कारी राज्यो में से किसी एक का निवानी है भ्रथवा था, उस दूसरे राज्य मे पहुचने की तारीख से दो वर्धो से प्रतबिक की प्रवधि के लिए ऐसे प्रध्यापन भ्रथका शोध वार्य, के लिए प्राप्त किसी पाण्ठियांनक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे कर से छट प्राप्त होनी।

2. यह मनुब्छेद उस सौध कार्य ो नाइत माथ पर लागू नही होगा यदि ऐसा सोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथका व्यक्तियों के मिनी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 19 के प्रयोजनार्थ किसी श्यप्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी सपना जाएगा यदि वह "पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा "मार वर्ष" में यथा निवसि, जह तूसरे संविदाकाशी राज्य का दौरा करता है मथवा "पूर्ववर्ती वर्ष" अपना मान दर्ष" जे तुन्तर पहले उस संविदाकारी राज्य का निरासी हो। 4. वैराग्राक 1 को प्रथोजनाये "मान्यता प्राप्त' संस्वा का ग्राणे एक ऐसी संस्वा से हैं जिसे इस संश्रेष्ठ में सर्थधित शंविदाकारी राज्य के नजम प्राधिकारी डाग मान्यता दी गई हो।

ন্সনম্প্রটৰ 21

भन्म इत्य

 पैरायाफ 2 के उपवंसों के मधील रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के निवासी को झाय की ऐसी मर्दे, जहां कहीं वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेवों में स्वब्द रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराघेय होगी ।

2. पैराधाफ 1 के उपबंध मनुब्छेद 6 के पैराधाफ 2 में यथा परिभाषित धवल सम्पत्ति से प्राप्त धाय से भिन्न घाय पर लागू नही होंगे, यदि ऐसी ग्राय का प्राप्तकर्ता एक सविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य मे, वहां स्थिन किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोधार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थिन किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करना है, स्था ऐसा अधिकार प्रथवा मम्पत्ति जिसके सम्वन्ध से ऐनी भाध भ्रदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन ग्रयवा निश्चित ग्राहार से प्रमावी रूप से संस्वद है। ऐसे स्थायी संस्थापन ग्रयवा निश्चित ग्राहार से प्रभावी रूप से संस्वद है। ऐसे नामले मे ग्रनुच्छेद 7 थ्रयदा ग्रनुच्छेद 13 के उपबंध जैसी मो क्थिति हो, न्याग् ट्रोमे।

ऋग(य 4

दोहरे कराधान के अपाकरण के निए प्रणासी

भन्च्छेद 22

दोहरे कराधान का ग्रनकरण

संवित्तकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून उन संधिदाकारी राज्यों में भाव के कराधान के मामनों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामनो को छोड़कर जहां इम फरार में उनके विगरीत कोई.उग्धंध किए जाते हैं। जहां आय पर दोतों राज्यों में कर लगता हो बहा इम ग्रतकटेव के अनुसार दोहरे कराधान से राइस प्रदान की आएगी।

2. नेपाल से बाहर शिसी क्षेत्र में संदेव कर को नेगली कर के प्रति जमा दिखाने की स्त्रीकृति देने के सबंध में नेपाल के कानून के उपवैधों के प्रध्यप्रीम (जो इसके मामान्य सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करेंगे), भारत के कानून के प्रन्तगंत जोर इस करार के उपबंधों के प्रनुसार, गारत में स्त्रोतों से प्राप्त ग्राय के सबब में प्ररयक्षत. प्रथवा कटौती द्वारा देव भारतीय कर प्राय की उन्ही मदों के संवर्भ में जिन पर मारतीय कर की गणना की जानी है, संगणित की गई नेपाली कर की रकम के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी।

3. पैराग्राफ (2) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए शब्द "देव भारतीय कर" में वह राशि शामिल समझी जाएगी जिसकी लिम्न-लिखित विषेध प्रोत्साहन उपायों द्वारा कर में कटौती की जाएगी ---

- (1) भारतीय ग्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की घारा 10(4), 10(4क), 10(6) (11), 10(5) (10), 10(28), 10क, 32क, 33क, 80जर्भ, 80ग्रमक, 80क्ष, अभौर 803 ;
- (ii) कांई प्रत्य उपत्रंध जो बाद में कर से ऐसी कटौती प्रदान करने के जिए अधितियमि। किना जाएर, जिस पर संविदाकारी राज्यों के सदाम प्राधिकारी प्राधिक विकास के प्रयोगनो के लिए संक्रमत हों।

4. भारत से बाहर किसी जेल में देय कर की भारतीय कर के प्रति जना दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में भारत के कानून के उपबंधों के अध्यक्षेत (ओ इसके सामान्य सिद्धात्सों को प्रभावित सही करेंगे) नेगाल के कातून के झरागैस और इस करार के उपवधों के प्रनुसार नेपाल में स्त्रोंगों से प्राप्त ग्राय के संबंध में प्रराक्षतः ग्रयता कटौती द्वारा देय नेपाली कर, प्रायकर की उन्हीं मदों के संदर्भ में जिन पर नेपाली कर की धाएना की आती है, की मई भारतीय कुर की गणना के प्रति जमा दिखाने की स्वोकृति दी जाएगी ।

बसर्ते फि ऐसी देव राशि भारतीय कर (ऐसी देव राशि की स्वीइत देने से पहने की गई गणता के प्रानुमार) से अधिक महीं होगी जो कि नेपाल में स्त्रोतों से प्राप्त झांग के वितियोज्व होगी । तथापि, जहां पर ऐसा निवासी मह कम्पनी हो जिसके हारा भारत में झतिकर देव हो, वहां भारत में कम्पनी हारा देव झायकर के प्रति उपर्युन्स जमा झी स्वीइति प्रथमतया दी जाएगी और यदि कोई घोष राशि होगी, तो उसके लिए कम्पनी हारा भारत में देव झाविकर के प्रति स्वीइति दी जाएगी।

5. इस प्रनुक्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रयोजनार्थ "संदेय नेपाली कर" में ऐसी कोई रक्षम सामिल की गई समझी जाएगी जो फिसी भी दर्व के लिए नेपाली कर के रूप में संदेय हो गई होती परस्तु उस दर्ष भयवा उसके किसी भाग के लिए निम्नानुसार कर मे थी गई छुट प्रथवा उसमें की गई कटीनी के कारण ऐसा नहीं हुआ :

- (क) नेपाल ग्राध्यभर ग्राधिनियम, 2031 (1974) की धारा 42 की उपधारा (2), जिस हब तक यह प्रवृत्त थी और सब से उस करार पर हम्नाक्षर होने की सारीख तक संगोधन नहीं किया गया हो या उसमें मामूली-मा संगोधन किया गया हो नाकि उससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हो; भयवा
- (व) कोई मन्य उपत्रंध जिसे कर से छूट प्रदान करने ग्रयवा उसमें कटौती करने के बाथ बनाया आए जिसके लिए मक्षम प्राधि-फारियों में सहमति होती है और जो काफी हद तक उसी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि इसे उसके परवाल सणोधित नहीं किना गया हो प्रवर्वा इपतें मन्मूत्री-मा संगोवन किन। गया हो ताकि इसले उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पहता हो।

8 जहां इस करार के झतीन, किसी संविधाकारी राज्य के किसी निवासी को झम्म संविदाकारी राज्य से प्राप्त झाथ के संबंध में उस संविधाकारी राज्य में कर से छूट दी जाती है, तब प्रथमोक्स सविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की शेष ग्रायपर कर की संगणना करते समय कर की बहु दर लगाएगा जो उस झवस्था में लागू होती यदि इस करार के भनुसार कर से छूट प्राप्त झाय पर कर से छूट प्राप्त नहीं हई होती।

भध्याय 5

विशैष उपबंध

খানুষ্ঠির 23

समब्धवहार

 एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सविधाकारी राज्य में ऐसा कोई कड़ाधान ध्रथव तत्मंगंधी कोई प्रपेक्षा लागु नही होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित प्रपेक्षाओं से भिन्न ध्रथवा घपेकाइन प्रधिक घारपूर्ण हो, तथा तत्संबंधी ध्रपेक्षाएं जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिको पर एक-समान परिस्थितियों मे लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्यायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों के ध्रधीम समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से धर्मकाकृत कम ध्रनुकूल हो ।

3. इस प्रतुच्छेव में निहित किसी भी बात का यह धर्म नहीं लगाय। जाएगा फि एक संविदाकारी राज्य के व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राहते, कटौतियां तथा घटौतियां मंजूर करके, जो कि कानून द्वारा केवल एसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो बहां के निवासी हैं, उपकृत करना है।

4. एक संविधाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी पूर्णन झयवा अंगत: इसरे संविधाकारी राज्य के एक ग्रयवा एक से अधिक निवासियों के पर्यक्ष प्रयवा प्रप्रत्यका स्वामित्व में ग्रयवा नियंत्रण में है, प्रथगोकत संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान सपवा तरसबंधी कोई नी प्रयोगत संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान सपवा तरसबंधी कोई नी प्रयोगत संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान सपवा तरसबंधी कोई नी प्रयोगत संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान सपवा तरसबंधी कोई नी प्रयोगत संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान संपर्वा तरसबंधी कोई नी प्रयोगत लागू महीं की जाएगी, जो उस कराधान से आववा सरसंबंधी किल्हीं भी अपनेलाओं से भिन्न प्रयवा भाषता प्राप्त प्राप्त स्वाधिक भारपूर्ण है जो प्रयमोलिखित राज्य के आप समयव उद्यमों पर एक-समान परिस्पितियों के मधील लगाई जाती हैं ग्रयवा मगाई जा सकती हैं।

5 इस मनुष्छेद में "कराधान" लब्द का मर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

মনুৰতীৰ 24

पारस्परिक करार कार्यविधि

 तहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझे कि एक भयवा दोनों संविधाकारी राज्यों की कार्रवाई के परिणामस्वरुप उछ पर बहुकर लगाया जाता है भयवा लगाया जाएगा, जो प्रस्तुत करार के मनुरुप नहीं है तो इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपबारों के होते हुए भों, जिस संविदाकारी राज्य का यह निवासी है, उसके सक्षम प्राधिकारी को घपना मामला प्रस्तुत कर संकला है। यह मामला उस कार्रवाई के नोटिस को प्राप्ति को तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जान। चाहिए जिस कार्रवाई के कारण ऐसा कर लगथा, जाता है जो करार के मनुसार नहीं है।

2 यदि समम प्राधिकारी को झापति उचित प्रतीत होगी और यदि बह स्वयं कोई उग्युश्न समाधान निकालने में भसमर्थ होगा तो, वह ऐसे फराजान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुषप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सजन प्राधिकारी की परस्पर सहमाने द्वारा उस मामने को हन करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार सम्पन्न कोई भी करार कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय काजूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो ।

3. इस करार की व्ययस्था करने झयवा इसे लागू करने में यदि कोई फठिनाइयां घयवा गंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हुल करने का प्रयास करेगे । ये उन मामलों में दोहरे कराधान के घपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्क कर सकते हैं, जिनकी करार में व्यवस्था मही है

4. पूर्वोक्त पैरागाफों के प्रभिन्नाय से किसी करार पर पहुंचते के प्रयोजनाथ संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीघे पक क्यवहार कर सकते हैं। अब सहमत होने के लिए विचारों का मौखिक प्रावान-प्रवान उचित जतीन होता हो तो ऐसे प्रावत्न-प्रदान किसी ध्रायोग के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

भান, গতৰ 25

सूचना का भादान-प्रदान

 संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें बस्तावेज भी गामिस हैं) का धादान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उप-3121 GI/88----2

बंधों को ग्रमवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित मान्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यास्वित करने के सिए ग्रावस्यक हैं, जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि इनके घधीन विद्यमान करावान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी प्रथमा प्रपतंचन को रोकने के लिए करार के प्रतिकृत नहीं हो । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार मुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के ग्रास्तरिक काननों के ग्रस्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। नेकिन, यदि सूचना भैजने वासे राज्य में सूचना को मुलतः गुप्त समझा जाता है सौ, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों ग्रथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनको वस्ली करने, उनके प्रवर्तन ग्रथवा भूभियोजन के संबंध में भूथवा उनमें पूर्वधित भूपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हों, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अपवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग के उस ऐसे परियोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सुचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यधाष्ठी प्रांचवा न्यायिक निर्णयो में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शतों, पदातियों झौर तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा ग्रादान-प्रधान किया जाएगा जिनमें, -जहां कहीं उपयुक्त हो, कर झपवंचन के संबंध में सूचना का झादान-प्रदान भी ज्ञामिल है।

2. सूचना प्रथवा वस्तावेओं का प्रादान-प्रवान या तो नेमी भाषार पर प्रयक्षा मामलों-विशेष के संबर्भ में प्रनुरोध करने पर प्रयवा दोनों स्थितिमों में किया जा सकेगा । संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर, ऐसी सूचना भ्रायवा दस्तावेओं की सूची से सहमत होंगें, जिन्हें नेमी माधार पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपनंधां का शर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना मही होगाः

- (क) उस ग्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों ग्रथवा प्रशासनिक प्रथा से हट र प्रशासनिक उपाय करना;
- (का) ऐसी सूचना ग्राथवा वस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस ग्राथवा ' दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के ग्रान्तर्गत ग्राथवा प्रशासन की सामाम्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना प्रथवा वस्तावेजों की सप्लाई करना जिनसे कीई व्यापारिक, व्यावसायिक, प्रौद्योगिक, वाणिज्यक प्रथवा रोजगार संबंधी गुष्त भेद प्रथवा ज्यापारिक प्रक्रिया प्रयवा सूचना प्रकट होती हो जिसको प्रकट वरना सरकार की नीति के प्रतिकृत है।

मनुष्छेय 26

राजनयिक श्रीर कौंसली कार्यकलाप

इस करार की किमी भी मात से राजनयिक कौंसली अधिकारियों को अन्तर्राव्द्रीय विधि के सामान्य नियमों के मन्तर्गत अथवा विशेष करारो के उपबंबों के अन्तर्गत प्राप्त विक्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव महीं पड़ेगा ।

ग्रध्याय 6

ग्रन्तिम उपबन्ध

मन्च्छेथ 27

प्रवर्तन

प्रत्येक संविधानारी राज्य दूसरे राज्य को इस करार को लगगू करने के लिए इसके कानूनों द्वारा अपोक्षित कार्यविधि की समाप्ति को अधि-सूथित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की सारीख से लागू होगा और तत्पक्षवातृ निम्नलिखित पर प्रवत्त होगा:

[PART II-SEC. 3(1)]

- (क) भारत में, जिस कैंसेप्डर वर्ष में बाद वासी प्राधिसूचना दी आती हैं, उस वर्ष में परवर्ती धर्मक के प्रयम दिन को प्रथवा उसके परभार, भारंभ होने वालें पूर्ववर्ती किसी दर्ष में उद्भूत ग्राम के सम्बन्ध में ;
- (ब.) नेपाल में, जिस कैलेग्वर वर्ष में बाद वाली ग्राझिसूचना दी जगती हैं, उस वर्ष के झगले परवर्ती नेपाली विलीय वर्ष के प्रवम दिन को समवा उसके पत्र्वात् ग्रारंम होते वाले- किसी ग्राय वर्ष में उद्ध्पूत होने वाली ग्राय के सम्बन्ध में।

মন্ন্ডৰ 28

समाप्ति

यह करेगर मनिक्षित काल तक लामू रहेगा, परन्तु संविवाकारी राज्यों में से कौई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की झबधि की समाफि के पक्षातू प्रारम्भ होने वासे किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसनें दिन को या उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे मंग्रियाकांगी राज्य को, समाफ्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा, धौर ऐसी स्थिति में यह, करार निम्नलिबित के सम्बन्ध में निष्प्रभावी हो नाएया :

- (क) भारत मैं, जिस कलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उस वर्ष के मगले परवर्ती ग्रर्जल के प्रद्रम दिन को मधवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भक्ष झाय के संबंध में ;
- (ख) नेपल में,जिल के सेग्डर पर्य में सापित का नोटिस दिया बाता है, उस वर्ष के प्रगले परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को प्रयवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी प्राय वर्ष में उद्भूत होने वाली प्राय के सम्बन्ध में ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत ग्रधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताझर किए हैं।

काटमाडों में वर्ष एक हेजार भौ सो सतासी के जनवरी मास के मकारवां दिन को हिल्दी, नेपाली झौर झंतेजी भाषाकों में, वो प्रतियों में किया गया । व्याक्या में भिक्षता को स्पिति में- झंग्रेजी पाठ ही प्रमावी होगा ।

| णारतः मर्थराज्य की सरकार | नेपालः केंथी 5₋के-सरकार |
|--------------------------|----------------------------------|
| की फोर से. | की मोर से |
| (नारायण दत्त तिवारी) | (जैलेन्द्र कुमार उपाध्याय) |
| यिदेश मंत्री | पर्रराष्ट्र तथा मुमिसुधार मंत्री |

[सं. 8138का.सं. 11/4/69-एफ.टी.डी.] पी. के. अप्पाक्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 5th December, 1988

INCOME-TAX

NOTIFICATION

G.S.R. 1146(E),—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on 1st November, 1988, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 27 of the said Agreement, of the completion of procedures required under their respective laws for bringing the Agreement into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of, the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT OF NEPAL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE

TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal.

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fitcal evasion with respect to taxes on incorre :

Have agreed as follows :

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in the case of India:

- (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961):
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian tax")

- (b) in the case of Nepal :
 - (i) income-tax imposed under the Income-Tax Act, 2031 (hereinafter rtferred to as "Nepal tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantial similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Nepal, as the context requires;
- (b) the term "tax" means Indan tax or Nepal tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agree rent applies 'or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit, under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (c) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Nepal, His Majesty's Government, Ministry of Finance or their authorised representative;
- (g) the term "national" means by any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by an aircraft operattd by an enterprise of a Contracting State, except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph I, an individual is a resident of both Contracting S. ates, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State in which is economic activities are concentrated;
- (b) if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State in which his economic activities are concentrated;
- (d) in case of dispute, the competent authorities for the Contracting States shall setue the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph I, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is; situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- ²(b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (c) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

- (g) a building site or construction or assembly project, but only where such site, project or activity continues for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period;
- (h) the furnishing of services by an enterprise through employees or other personnel, where activities continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of the Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise,
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collect ng information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person--other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of an activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the aitivities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment siuated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. (a) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, expenses of the enterprise which are incurred for the purpose of the permanent establishment, including only those executive and general administrative expenses incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards re-imbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments, in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, fo specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees, or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine he profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragtaph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

?. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying "c dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Ariticle means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, not subject the company's undistributed profits, to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

Provided, however, that where the interest is paid to a bank carrying on bonafide banking business, which is resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or

not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including preinums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to atise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICAL 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the revalties, the tax to charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for the radio or television broadcasting any patent, trade mark. design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment of fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1: Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived

from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, atchitects, dentists and accountants.

ARTICLE 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 15, 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remunctation derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracing State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived, therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent rsablishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad an aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be faxable only in that State.

ARTICLE 15

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in h_{2} capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 16

INCOME-FARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 13 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artists or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

[PART II-SEC. 3(i)]

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Aricles 7. 13 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 13 and 14, where income in respect of personal activites exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 17

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

- (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such remaneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 18

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 17, or any annuity derived by a residet of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the firstmentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth

ARTICLE 19

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 18,000 (Indian currency), or its equivalent in Nepalese currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 20

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State. L 200 - MA 71

2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this article and article 19, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 21

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement. Where income is subject to tax in both Contracting States relief from double taxation shall be given in accordance with this Article.

2, Subject to the provisions of the law of Nepal regarding the allowance as a credit against Nepal's tax of tax payable in a territory outside Nepal (which shall not affect the general principle hereof) Indian tax payable under the law of India and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within India shall be allowed as a credit against any Nepal tax computed by reference to the same items of income by reference to which the Indian tax is computed.

3121 GT/88-3

3. For the purpose of the credit referred to in paragraph (2), the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which tax has been reduced by the special incentive measures under —

- (i) Sections 10(4), 10 (4A), 10 (6) (viia), 10 (15) (iv), 10 (28), 10A, 32A, 33A, 80HH, 80HHA, 80-I and 80-L of the Indian Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
- (ii) any other provision which may subsequently be enacted granting a reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof) Nepal tax payable under the law of Nepal and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within Nepal shall be allowed as a credit against any Indian tax computed by reference to the same items of income by reference to which Nepal tax is computed.

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Nepal, so however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

5. For the purpose of paragraph (4) of this Article the term "Nepal tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Nepal tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) sub-section (2) of section 42 of the Nepal Income-tax Act, 2031 (1974), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only it minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the com
 - petent authorities to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

6. Where under this Agreement a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first mentioned Contracting State may in calculating tax on the remaining income of that person apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with the Agreement had not been so exempted.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 23

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 24

MUTUAL AGEEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this 'Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within there vears of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall. through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State;

(c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, comercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be coutrary to public policy.

ARTICLE 26

DIPLOMATIC AND CONSULAR' ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreement.

CHAPTER VI-

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 27

ENTRY INTO FORCE.

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

ARTICLE 28

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieh day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channel, witten notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect

19

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st uay of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Kathmandu on this eighteenth day of January, ONE THOUSAND NINE HUND-RED AND EIGHTY-SEVEN A.D. in Hindi, Nepali and English languages all the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA (NARRAYAN DATT TIWARI) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

> GOVERNMENT OF NEPAL FOR HIS MAJESTY'S

(SHAILENDRA KUMAR UPADHYAYA) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND LAND REFORMS GOVERNMENT OF INDIA

> [No. 8198]F. No. 11]4[69-FID] P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988 •